

1272
20/7/11

प्रपत्र संख्या 29 (नियम 12)
अन्वेषण का प्रमाण पत्र की संख्या
198 के प्रमाण पत्र की संख्या
198 के प्रार्थना पत्र की संख्या

श्री जे. ए. सिंह सिरोही रा. 5 कालकट्टे मथुरा

ने मेरे पास नीचे उल्लिखित सम्पत्ति क पत्र-देने के लिये प्रार्थना पत्र दिया है। सम्पत्ति का विवरण प्रार्थना पत्र में उल्लिखित के अनुसार दिया जायेगा।

मौखिक - कोदण्ड पत्र प्राप्ति	काशिका	रकबा	जाता (पु 35
हाउ आर्षि - प्रतिगिप. कपिल गुप्ता	काशिका	रकबा	जाता (पु 35
5/10 (मेश-यन्द गुप्ता सि 120-128)	काशिका	रकबा	जाता (पु 35
2/11 - कालका जी - 1/2 दिल्ली	काशिका	रकबा	जाता (पु 35

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति हर प्रभाव डालने वाले कार्यों तथा तत्सम्बन्धी भार प्रस्तावों के लिये वर्ष 22/7/2005 से 21/7/11 तक प्रस्तुत तथा अनुक्रमणिकाओं का अन्वेषण किया गया है और ऐसे अन्वेषण से निम्नलिखित कार्य भार ग्रस्तता प्रकट होता है।

सम्पत्ति का विवरण जैसा लेक्ष्य में दिया है।	निष्पादन का दिनांक	लेखा का प्रकार तथा मूल्य	पक्षकारों के नाम निष्पादन अलटमेंट	प्रविष्ट संख्या वर्ष
मौखिक व काने पत्र प्राप्ति का	उपरोक्त	पु 35	इ. ए. सिंह का प्रमाण	

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त कार्यों तथा ग्रस्तताओं के अतिरिक्त उक्त सम्पत्ति जो प्रसावित करने वाला कोई अन्य भार प्रस्तुता प्राप्त नहीं हुई है।

- 1- इस प्रमाण में प्रदर्शित वे भार ग्रस्तताएँ हैं जो कि प्रार्थी द्वारा वर्णित सम्पत्ति के विवरण से अभिन्न हैं। यदि निबंधन अभिलेखों में सम्पत्ति का विवरण अपने से भिन्न रीति से दिया गया है जैसा प्रार्थी ने नहीं लिखा है तो उस स्थिति में वैसी भार ग्रस्तियों का प्रमाण पत्र में समावेश नहीं किया जायेगा।
- 2- वांछित अन्वेषण व प्रमाण-पत्र यथा सम्भव सावधानी पूर्वक कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है। फिर भी विभाग किसी भी अन्वेषण प्रमाण-पत्र की त्रुटि अथवा इसके परिणामों के लिये उत्तरदायी नहीं है।

प्रमोदी अभिलेखागार
काठंडोनि ॥ मथुरा